



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 266 राँची, मंगलवार, 5 ज्येष्ठ, 1948 (श०)
26 मई, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

23 सितम्बर, 2019

संख्या- सं०क० / राज०नि०-5/2009-2273--

भारत का संविधान के अनुच्छेद-309 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधीन झारखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा/संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ-

- (i)- यह नियमावली झारखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा/संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2019 कही जायेगी।
- (ii)- इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (iii)- यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से ही प्रवृत्त होगा।

अध्याय-3**भर्ती / नियुक्ति**

- (2) (i)- झारखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा / संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2018 जिसे इसके पश्चात् मूल नियमावली कही जायेगी के नियम-12 (ग) में प्रावधानित है कि विभागीय परीक्षा में लेखा, विकास एवं हिन्दी (उच्च स्तर) के प्रश्न पत्र होंगे। परन्तु नियमावली में विभागीय परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम (नियमावली की परिशिष्ट-॥) में विकास विषय नहीं है। अतः नियमावली के नियम-12 (ग) में अंकित "विकास" शब्द को विलोपित किया जाता है।
- (ii)- विभागीय परीक्षा के विषय नियमावली के परिशिष्ट-॥ में अंकित विषयों के अनुरूप होंगी।
- (iii)- नियमावली के नियम-12 (क), (ख) एवं (ग) में किये गये प्रावधान नियमावली निर्गत होने की तिथि के पश्चात् नियुक्त होनेवाले पदाधिकारियों पर लागू होंगे।

अध्याय-4**विभिन्न पदों हेतु अर्हताएँ / प्रोन्नति तथा अन्यान्य**

3. मूल नियमावली के नियम-16 के उपनियम (च) को खण्ड (i) के रूप में अंकित किया जाता है एवं उसके पश्चात् खण्ड (ii) निम्नरूपेण अंतःस्थापित किया जाता है :-
- (ii) वर्ष 2000 एवं उसके पूर्व नियुक्त पदाधिकारियों के लिए प्रोन्नति हेतु नियमावली के परिशिष्ट-॥ में अंकित विषयों में केन्द्रीय परीक्षा समिति राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित राजपत्रित पदाधिकारियों की परीक्षा उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमिताभ कौशल,
सरकार के सचिव
